दोनों पक्ष मूल प्रकरण के निस्तारण तक सहमत हैं
Advocate
विपक्षी सं. 1 की V/T
अधिवक्ता मूल पत्रावली में पेश करेंगे
Advocate
29/11/18

आदेशिका प्रस्तुत किया। विपक्षी क्रमांक 2 का नाम वाद से हटाने तामील कराया। अभिभाषक प्रार्थी ने विपक्षी क्रमांक 1 के स्थान विलोप नहीं करने हेतु मौखिक पक्ष मूल प्रकरण के निस्तारण तक कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित करने की प्रार्थना की। पत्रावली आदेश हेतु 5-12-18 को पेश हो।

B.O
G.S.

5-12-2018

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी क्रमांक 2 का नाम प्रार्थनापत्र प्रकरण से हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने विपक्षी क्रमांक 2 के विरुद्ध प्रकार की Relief नहीं चाही है अतः विपक्षी क्रमांक 2 का नाम हटाया जाता है। शेष प्रार्थी व अन्य विपक्षी क्रमांक 1 मूल वाद के निस्तारण तक नाम वृजपुर पं० के खिलाफ स्थित कार्यवाही धारा 72-112/1 73 74 75 420/71 447/71 के स्थान विलोप नहीं करने बाबत दोनों पक्ष सहमत हैं।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 112 द०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष वाद्यांश उक्त कार्यवाही की (~~प्रकाशिती~~) मूल वाद के निस्तारण तक स्थान विलोप नहीं करने बाबत सहमति होने के पश्चात विलोप बनाये रखेंगे।

पत्रावली नस्ल के रूप में नाम कुमार केशरवानी मूल वादकर्ता के नाम कायम रखें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)